FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

छीतरमल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार वगै0

किस्म मुकदमा— वाजदायरी प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर 127/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील म जारी हुये
19.09.2023	प्रार्थी/वादी की ओर से वकील श्री रामजीलाल मिश्रा एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद पत्र को पुनः स्थापित करने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण छीतरमल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगै0 मुकदमा संख्या 77/2021 को दिनांक 22.12.2022 को वादी व वकील वादी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने तथा प्रार्थी को घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 22.12.2022 को नियत तारीख पेशी पर नहीं आने व प्रार्थी को तारीख पेशी का मुगालता होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने तथा अधिवक्ता के अन्य दीगर अदालतों में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी के अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित आने से पूर्व ही पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाये जाने के आदेश हो चुके थे। प्रार्थी का प्रकरण अचल सम्पति से सम्बन्धित होने से प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को पुनः स्थापित करने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण छीतरमल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगै0 मुकदमा संख्या 77/2021 को पुनः [illegible] लिया जाता है तथा वादपत्र में आगामी पेशी [illegible] प्रार्थना पत्र वाजदायरी दर्ज रजिस्टर [illegible] शामिल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:45:39 IST
Reason: SelfAttested